पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा 2025

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

1. बादल वर्मा निवासी मंढोली तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

– वादी

बनाम

1. तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

–प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर 572/2025

जीसीएमएस नं0 2025/1197

आदेश

दिनांक –11/09/2025

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम मंढोली तहसील नीमकाथाना के भूमि खाता संख्या 206 में वादी के दादा की गलत दर्ज जाति ''रामलाल पुत्र कालू जाति अहिर (यादव)'' के स्थान पर सही एवं वास्तविक जाति ''रामलाल पुत्र कालू जाति बलाई'' दुरूस्त किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना आदेश का भाग रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (राज.)

मुद्रा

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.06 15:31:17 IST
Reason: SelfAttested

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **नीमकाथाना (सीकर)**
बइजलास **राजवीर सिंह यादव R.A.S.**

1. बादल वर्मा निवासी मंढोली तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

—वादी

बनाम

1. तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

—प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा व दुरूस्ती रिकार्ड
मुकदमा नं. 572 सन् 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस** व हाजिरी **वादी स्वयं** मिनजानिब मुद्दई रूबरू ..... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि **मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम मंढोली तहसील नीमकाथाना के भूमि खाता संख्या 206 में वादी के दादा की गलत दर्ज जाति "रामलाल पुत्र कालू जाति अहिर (यादव)" के स्थान पर सही एवं वास्तविक जाति "रामलाल पुत्र कालू जाति बलाई" दुरूस्त किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना आदेश का भाग रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो** .निज.....मुबलिग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....का अदा करें।

बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख** 11 **माह** 09 **सन्** **2025** को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत.....

अहिदा.....

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा फीस कमि बाबत इ हुक्म मुतफरिक मीजान		

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.06 16:31:17 IST
Reason: SelfAttested

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।